शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय

गुण्डरदेही, जिला – बालोद (छ.ग.)

विवरणिका

सत्र 20----------20----------

शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही,

जिला – बालोद (छ.ग.)

महाविद्यालय परिवार

प्राचार्य – डॉ.(श्रीमती) श्रद्धा चन्द्राकर		
01	.....	प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान
02	.....	प्राध्यापक, भूगोल
03	डॉ.डी.आर.मेश्राम	सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य
04	डॉ.के.डी.चावले	सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र
05	श्री डी.एस.सहारे	सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र
06	डॉ.(श्रीमती) निगार अहमद	सहायक प्राध्यापक, अंग्रेजी
07	डॉ.अभिषेक कुमार पटेल	सहायक प्राध्यापक, हिन्दी
08	.....	सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान
09	.....	सहायक प्राध्यापक, रसायन शास्त्र
10	.....	सहायक प्राध्यापक, वनस्पति शास्त्र
11	.....	सहायक प्राध्यापक, सूक्ष्मजीव विज्ञान
12	श्री सोमन लाल तारम	सहायक ग्रेड – दो
13	.....	सहायक ग्रेड – दो
14	श्री सुरेश कुमार धनगर	सहायक ग्रेड – तीन
15	.....	सहायक ग्रेड – तीन
16	श्रीमती विभा यादव	प्रयोगशाला परिचारक
17	श्री दिलीप कुमार बन्छोर	प्रयोगशाला परिचारक
18	श्री जागेश्वर प्रसाद	प्रयोगशाला परिचारक
19	श्री भरत लाल	भृत्य
20	श्रीमती मंदा खान्दौरे	भृत्य
***		

शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय,
गुण्डरदेही, जिला – बालोद (छ.ग.)

महाविद्यालय की स्थापना जून 2005 में हुई। आरंभ में विज्ञान संकाय की कक्षाएँ संचालित करने की अनुमति प्राप्त हुई जिसके अन्तर्गत सूक्ष्म जैविकी, रसायन शास्त्र तथा वनस्पति विज्ञान के अध्ययन की व्यवस्था की गई। आंरभिक सत्र में मात्र 3 छात्रों के साथ यह महाविद्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला गुण्डरदेही, परिसर में संचालित किया गया। बाद में अक्टूबर 2005 में महाविद्यालय शास. बालक प्राथमिक शाला गुण्डरदेही में स्थानांतरित हुआ। 28 जून 2015 को महाविद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण माननीय उच्च. शिक्षामंत्री, छ.ग. शासन के द्वारा किया गया वर्तमान में यह महाविद्यालय अपने नवीन भवन में संचालित है। 2008 में संस्था का नामकरण शहीद कौशल यादव के नाम पर किया गया। सत्र 2007–08 से यहां कला एवं वाणिज्य संकाय में अध्ययन की सुविधा प्रारंभ हुई। स्नाकोत्तर स्तर पर एम.ए. राजनीति विज्ञान की कक्षाएं सत्र 2015–16 में तथा स्नाकोत्तर स्तर पर भूगोल की कक्षा सत्र – 2017–18 में प्रारंभ हुई। छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित यह महाविद्यालय प्रारंभ में पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि.रायपुर से सम्बद्ध था।

वर्तमान में महाविद्यालय को हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग के द्वारा विभिन्न कक्षाओं के संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान किया गया है। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के निर्धारित पाठयक्रम के अनुसार ही अध्यापन किया जा रहा है तथा विश्वविद्यालयके नियमों व शर्तों के अधीन परीक्षा का संचालन होता है।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस महाविद्यालय का नामकरण कारगिल युद्ध के शहीद नायक कौशल यादव के नाम पर किया गया है। उन्होंने 25 जुलाई 1999 को जम्मू –कश्मीर में आक्रमणकारियों का मुकाबला करते हुए उच्च सैन्य परम्परा के अनुरुप प्राणोत्सर्ग किया।

नायक कौशल यादव की टुकड़ी को पश्चिम क्षेत्र से जुलू चोटी पर कब्जा कर तिरंगा फहराने का दयित्व सौंपा गया था। पहाड़ पर खड़ी चढ़ाई और रास्ते की गहरी खाइयों के बीच शून्य डिग्री से कम तापमान जैसी विपरीत परिस्थितियों में यह कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। नायक कौशल यादव की टुकड़ी ने अतुलनीय साहस और संकल्प के साथ पर्वतारोहण कौशल के द्वारा पहाड़ पर रास्ता बनाया। जुलू चोटी पर पहुँचते ही उन्हें ऊपर से दुश्मनों द्वारा की गई भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए पाकिस्तानी बंकर पर जवाबी गोलाबारी की। इस भीषण लड़ाई में नायक कौशल यादव ने दुश्मन के पाँच सिपाहियों को मार गिराया। इस दौरान वे बुरी तरह आहत हो गए और अंततः शौर्यपूर्वक वीरगति पाई। लेकिन उनके बलिदान के साथ ही उनकी टुकड़ी ने जुलू चोटी पर कब्जा करनें में कामयाबी हासिल कर ली। नायक कौशल यादव को उनके विलक्षण पराक्रम के लिए 3 नवम्बर 2000 को नई दिल्ली में मरणोपरांत वीर चक्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

शहीद कौशल यादव का जन्म 4 अक्टूबर 1969 को भिलाई में हुआ था। वे हुडको भिलाई निवासी स्व. रामनाथ यादव तथा श्रीमती धनवंता देवी के सुपुत्र थे। भिलाई में स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे 3 जून 1989 को सैनिक सेवा में सम्मिलित हुए। राष्ट्र सेवा के लिए उन्हें सैन्य सेवा मेडल, वाउण्ड मेडल, विशेष सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया। इस बहादुर सिपाही की स्मृति में स्थापित यह महाविद्यालय अपने को गौरवान्वित अनुभव करता है।

1. संकाय एवं विषय

महाविद्यालय में तीन संकाय हैं। कला संकाय, वाणिज्य संकाय एवं विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों का विवरण निम्नानुसार हैं–

1.1 कला संकाय

स्नातक

(अ) बी.ए. भाग–1 में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों के लिये आधार पाठ्यक्रम (अनिवार्य विषय)

(1) हिन्दी भाषा (2) अंग्रेजी भाषा (3) पर्यावरण अध्ययन के साथ निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करना होगा –

(1) समाज शास्त्र (2) राजनीति शास्त्र (3) अर्थशास्त्र

(ब) बी.ए. भाग – 2 एवं भाग – 3 के छात्र पूर्व में चयनित विषयों का ही अध्ययन करेंगें।

स्नातकोत्तर

एम.ए.राजनीति विज्ञान एवं भूगोल

1.2 वाणिज्य संकाय

(अ) 1) बी.कॉम. भाग–1 के छात्रों के लिये आधार पाठ्यक्रम (अनिवार्य विषय)

(1) हिन्दी भाषा (2) अंग्रेजी भाषा (3) पर्यावरण अध्ययन

2) बी.कॉम. भाग–1, 2 एवं 3 के लिये निम्न विषय समूह अनिवार्य हैः–

ग्रुप 1 – वित्तीय लेखांकन,

ग्रुप 2 – व्यवसायिक प्रबंध,

ग्रुप 3 – व्यवहारिक अर्थशास्त्र

1.3 विज्ञान संकाय

(अ) बी.एससी. भाग – 1 के छात्रों के लिए

(आधार पाठ्यक्रम) (1)हिन्दी भाषा (2) अंग्रेजी भाषा (3) पर्यावरण अध्ययन

इनके अतिरिक्त निम्न लिखित विषयों का अध्यापन होता है –

(1) रसायन शास्त्र (2) वनस्पति शास्त्र (3) माइक्रोबायोलॉजी

(ब) बी.एससी. भाग – 2 एवं 3 के छात्र पूर्व चयनित विषयों का ही अध्ययन करेंगे।

नोट :– प्रत्येक संकाय के छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर पर पर्यावरण विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

विभिन्न कक्षाओं में उपलब्ध स्थान

स्नातक / स्नातकोत्तर	कक्षा	उपलब्ध स्थान
स्नातक स्तर	बी.ए. भाग – 1	150
	बी.ए. भाग – 2	150
	बी.ए. भाग – 3	150
	बी.कॉम भाग – 1	90
	बी.कॉम भाग – 2	90
	बी.कॉम भाग – 3	90
	बी.एस.सी. भाग – 1	90
	बी.एस.सी. भाग – 2	90
	बी.एस.सी. भाग – 3	90
स्नातकोत्तर स्तर	एम.ए. (राजनीति विज्ञान) प्रथम / द्वितीय सेमेस्टर	25
	एम.ए. (राजनीति विज्ञान) तृतीय / चतुर्थ सेमेस्टर	25
	एम.ए. (भूगोल) प्रथम / द्वितीय सेमेस्टर	25
	एम.ए. (भूगोल) तृतीय / चतुर्थ सेमेस्टर	25

2. छत्तीसगढ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त

1. प्रयुक्ति

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धान्त छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2. प्रवेश के निमयों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। ''प्रवेश'' से आशय स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष/पूर्व में प्रवेश से है।

2. प्रवेश की तिथि

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु ऑनलाईन फार्म जमा कराया जावेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगें ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि ऑफलाईन आवेदन जमा करना हो तो आवदेक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवदेन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 01 अगस्त से 31 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 15 सितम्बर तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 अगस्त से तथा अन्य कक्षाओं हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के भीतर शासन द्वारा समय – समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की जावेगी। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा वि.वि./बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र/पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये, किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जावेगा।

स्पष्टीकरण

आवेदक ''क'' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान ''ब'' में हो गया, इस स्थान (ब) में किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक ''ख'' ने स्थान (अ) के जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन/पुर्नगणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वी कक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्र – छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र संख्या (सीट) अन्तर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते है तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम बी.ए.एल.एल.बी. की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डो के अनुसार अधिकतम 60 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (न्यूनतम 2 सेक्शन एवं अधिकतम 5 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे।

3.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांको एंव जहां अधिभार देय है वहां अधिभार देकर प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण–पत्र पर ''प्रवेश दिया गया'' की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जावें।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/– अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 15 सितम्बर के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनाँक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण–पत्र जारी करने के साथ–साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़ फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे, जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7 राज्य शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गयी है। अतः उक्त निर्देशों का पालन किया जाए।

5. प्रवेश की पात्रता

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीकृत बैंको तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जायेगा।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एससी. (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रम से 12वी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी, परन्तु यदि अभ्यार्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथवा बी.एससी. (बायो/गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश

(क) बी.कॉम/बी.एससी. (गृहविज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.कॉम/एम.एससी. (गृहविज्ञान)/एम.ए.प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर, बी.एससी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.सी./एम.ए. प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर /पूर्व भूगोल में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी, जिन्होनें स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में संकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/अर्हता ही बंधनकारी होंगे।

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय में स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed to keep Tearns) नियम :–

01. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावाधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
02. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed to keep Tearns) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्ट एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा –

(क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति हेतु 40% अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 42 % होगी तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वार्ध में 55% अंक अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/ओबीसी हेतु 50% प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.6 AICET/NCTE/BAR OF COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6. समकक्ष परीक्षा

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई) इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षामण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डो की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते है।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ युनिवर्सिटी) के सदस्य है, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ के विश्वविद्यालयों की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU) को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/आफॅ कैम्प्स आदि खोलकर छात्र – छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 1–52/2013 (सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल 2014 के अनुसार :–

''जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग/वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यवसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि (एनएसक्यूएफ) में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाणपत्र उपलब्ध कराता है, जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाणपत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाणपत्र स्कूली शिक्षा व क्षेत्र से संबद्ध है। वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण–पत्र प्रदान किये जा रहे हैं ऐसे छात्र एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहिंत 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने आशंका जतायी है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यवसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हो तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सके।''

7. बाह्य आवेदकों को प्रवेश

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एससी./बी.एच.एससी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ में किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावें। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वसासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावें।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में शपथ–पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाये जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8 अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पाटमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटीकेटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एल.एल.बी के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश पात्र छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएं

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में आगामी वर्ष/वर्षों में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो और/या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हों या परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हों/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिये प्राचार्य अधिकृत हैं।

9.3 महाविद्यालय में तोड़–फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने /प्रवेश न देने के लिये प्राचार्य अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु कमेटी गठित कर जॉच करवाये एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावें।

9.4 प्रवेश हेतु आयु–सीमा :–

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 1847/214/आउशि, नया रायपुर, अटल नगर, दिनांक – 24-08-2021 के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा प्रवेश मार्गदर्शिका वर्ष 2021-22 की कंडिका 9.4 (क), (ख), (ग), (घ) एवं (ड.) को विलोपित करते हुए सभी कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों में अधिकतम आयु सीमा के बंधन को समाप्त किया गया है।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरान्त लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवदेक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंको के आधार पर, तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग–अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता

11.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रमानुसार रहेगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक प्राप्त छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावें, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानो/तहसील/जिला के निवासरत परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवदेक विद्यार्थियों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाये।

11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण

छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :–

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश मे सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात :–

(क) अध्ययन एवं संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संस्था में से 32 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ख) अध्ययन एवं संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संस्था में से 12 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन एवं संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संस्था में से 14 प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रहेगी।

परन्तु जहां अनुसूचित जनजातियों के साथ – साथ अनुसूचित जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत क्रम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जायेगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है तो इसे विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जायेगा।

परन्तु यह और है कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी जहां खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जायेगा।

12.2

(1) बिन्दू क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण ऊर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जायेगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों/ भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय – समय पर इस अधिनियम के प्रायोजनों के लिए अधिसूचित किया जाये तथा यह बिन्दू क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति ऊर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र – पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन के लिए 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणियों के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगें।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिए आरक्षित होंगें।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी के सीटें यथावत अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे – स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी। शेष संवर्ग की सीटें भरी जावेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगे। 1/2 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या 1 होगी।

12.7 जम्मू काश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

12.8 समय – समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शायी गयी आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के निर्णय के अध्ययाधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.सी. 400/2012 (नेशलन लीगल सर्विसेस अथॉरिटी) विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक – 15.04.2014 की कंडिका 129 (3) में यह निर्देश दिया गया है कि " We direct the Centre and the State Government to take Stapes to treat them us socially and educationally backward classes of citizen and extended all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments " का कड़ाई से पालन किया जाये।

13. अधिभार

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण – पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/सेवर्स के अर्थ से पढ़ा जावें।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. ''ए'' सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस/एन.सी.सी. ''बी'' सटिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउटस	03 प्रतिशत
(ग)	''सी'' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउटस	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालनीय एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी. एन.एस.एस. कन्टिजेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउटस	05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउटस	10 प्रतिशत
(झ)	छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट	10 प्रतिशत
(य)	ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट	10 प्रतिशत
(र)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित करने वाले विद्यार्थियों को	15 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर — **10 प्रतिशत**

13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएँ

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में –

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर्संभांग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में –

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 07 प्रतिशत

(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में –

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले — 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साइंस एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयिनत एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को — **10 प्रतिशत**

13.5 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में

(क) छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को — 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत

13.6 जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को — **01 प्रतिशत**

13.7 विशेष प्रोत्साहन –

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्टस अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी इन्हें पात्रता है कि –

(1) इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक खेल एवं युवक कल्याण छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो एवं,

(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 **प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र स्नातक प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।**

14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन –

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्ततन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांको से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणाणुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांको पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलंब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

15. शोध छात्र

शासकीय महाविद्यालय में पी.–एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपर वाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण–पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुए लागू होगा।

16. विशेष

16.1 जाली प्रमाण–पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश आदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य का होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निश्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर, प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुये स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांत में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय–समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

3. प्रवेश के समय भुगतान किए जाने वाले शुल्क

(क) शासकीय शुल्क

1.	पूरे सत्र शिक्षण शुल्क	रू. 115/–
2.	स्टेशनरी शुल्क	रू. 2/–
3.	प्रयोगशाला शुल्क	रू. 20/–
4.	प्रवेश शुल्क	रू. 3/–
5.	पुनः प्रवेश	रू. 50/–

(ख) अशासकीय शुल्क

1.	सम्मिलित निधि शुल्क	रू. 37/–
2.	परिचय पत्र शुल्क	रू. 50/–
3.	महाविद्यालय विकास शुल्क	रू. 25/–
4.	छात्र संघ शुल्क	रू. 2/–
5.	चिकित्सा शुल्क	रू. 3/–
6.	निर्धन छात्र सहायता निधि शुल्क	रू. 5/–
7.	रीडिंग रूम शुल्क	रू. 20/–
8.	विभागीय पुस्तकालय शुल्क (स्नातकोत्तर छात्रों के लिए)	रू. 15/–
9.	युवा उत्सव	रू. 12/–
10.	अन्य शुल्क	रू. 6/–

(ग) महाविद्यालयीन परीक्षा शुल्क (स्थानीय परीक्षा) रू. 80/–

(घ) विश्वविद्यालय शुल्क

1.	महाविद्यालय शारीरिक कल्याण शुल्क	रू. 150/–
2.	विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क़ आवेदन शुल्क 100+50	रू. 150/–
3.	विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क वि.वि. द्वारा निर्धारित –	
4.	अप्रवासन शुल्क (माइग्रेशन)	रू. 200/–

(ड.) **सुरक्षा निधि –**

1.	स्नातक स्तर (तीन वर्षों के लिये)	रू. 60/–
2.	स्नाकोत्तर स्तर (दो वर्षों के लिये)	रू. 100/–
(च)	**रेडक्रास**	रू. 40/–
(छ)	**जनभागीदारी शुल्क**	रू.. 400/–

टिप्पणी –

1. सभी प्रकार के शुल्क में शासन द्वारा परिवर्ततन किया जा सकता है।
2. प्रवेश मिल जाने के बाद प्रत्येक छात्र–छात्रा को संपूर्ण सत्र के लिए अनिवार्य रूप से शैक्षणिक शुल्क देना होगा। महाविद्यालय में प्रवेश की तिथि अथवा महाविद्यालय छोड़ने की तिथि से इनका कोई संबंध नहीं है।
3. केवल छ.ग. की किसी अन्य शासकीय संस्था से स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश होने की अवस्था में जितने शिक्षण शुल्क का छात्र भुगतान कर चुका है वह उसे पुनः नहीं देना होगा। ऐसे छात्र को पूर्व महाविद्यालय से शुल्क का भुगतान करने बाबत् आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. किसी भी प्रकार का शुल्क जमा करते समय प्रवेश पत्र एवं परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

1. शिक्षण शुल्क संबंधित रियायतें

1. राज्य शासनके सेवारत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों के अध्ययन शुल्क में पूर्ण रियायत दी जाती है।
2. राज्य के सेवानिवृत्त तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बच्चे के लिए अध्ययन शुल्क में पूर्ण रियायत बरती जायेगी।
3. दो से अधिक भाई–बहन (एक ही परिवार से) महाविद्यालय में एक ही कक्षा में अध्ययन करते हैं तो उसमें से सबसे बडे को पूर्ण और शेष को आधा शिक्षण शुल्क देना होगा।
4. अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति के छात्र/छात्राओं को शिक्षण शुल्क का भुगतान पूर्णतः माफ है। इसके लिए उन्हें जिलाधीश से या अधिकृत स्थानीय अधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
   ऐसे छात्र/छात्राओं को समय समय पर महाविद्यालय के सूचना फलक में दी गई सूचनाओं का अवलोकन करते रहना चाहिए। अन्य शुल्क उन्हें पूरा जमा करना होगा, मात्र शिक्षण शुल्क के भुगतान से मुक्ति का प्रावधान है।

2. प्रवेश पत्र एवं उपयोग

महाविद्यालय में प्रवेश की सूचना मिलने के साथ ही प्राप्त प्रवेश पत्र में समस्त देय शुल्क का पूर्ण विवरण भी रहता है अतः सभी छात्र/छात्राओं को चाहिए कि वे अपने प्रवेश पत्र सावधानीपूर्वक रखे। छात्र/छात्राओं को प्रत्येक शुल्क का भुगतान करते समय अपना प्रवेश पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश पत्र प्रस्तुत किए बिना महाविद्यालय द्वारा कोई शुल्क जमा नहीं होगा। यह विद्यार्थियों के हित में है कि वे शुल्क का भुगतान करते समय इस बात की जांच कर ले कि प्रवेश पत्र में संबंधित प्रविष्टियां सही की गई हैं। प्रवेश पत्र गुम हो जाने की अवस्था में छात्र/छात्राओं को रू. 38 शुल्क जमा करके परिचय पत्र की दूसरी कापी (डुप्लीकेट) प्रति प्राप्त करनी होगी।

3. परिचय पत्र एवं उपयोग

प्रत्येक छात्र/छात्रा को महाविद्यालय में प्रवेश देते समय एक परिचय पत्र दिया जावेगा। छात्र/छात्रा को महाविद्यालय में हमेशा यह परिचय पत्र अपने पास रखना होगा। तथा सक्षम अधिकारी द्वारा मांगने पर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। मांगे जाने पर परिचय पत्र प्रस्तुत न किए जाने की अवस्था में छात्र/छात्रा को

शिक्षक/शारीरिक शिक्षानिर्देशक के द्वारा कक्षा अथवा महाविद्यालय समारोह में सम्मिलित होने से रोका जा सकता है। परिचय पत्र के लिए आवश्यक दो पासपोर्ट आकार के फोटो छात्र/छात्राओं को प्रवेश के समय जमा करना होगा। परिचय पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही संबंधित छात्र/छात्रा को पुस्तकालय से पुस्तकें निर्गमित की जा सकती हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र अथवा सुरक्षा निधि की वापसी के समय भी परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा। परिचय पत्र खो जाने की अवस्था में छात्र/छात्राओं को रू. 38.00 शुल्क जमा करके परिचय पत्र की दूसरी कापी (डुप्लीकेट) प्रति प्राप्त करनी होगी।

4. अनुशासन –

महाविद्यालय में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता एक गंभीर तथा दण्डनीय अपराध हैं। इस विषय में तुरंत कार्यवाही की जावेगी। विद्यार्थी से विनम्र एवं अनुशासित रहने की अपेक्षा के साथ ही उसके लिए कक्षाओं में सभी विषयों में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा वे महाविद्यालय में किसी प्रकार की अभद्रता नहीं करेंगें अन्यथा ऐसे मामले में उनके पालक को सूचित कर उसे महाविद्यालय से निष्कासित भी किया जा सकेगा। ऐसे किसी भी विवाद में प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। महाविद्यालय का अनुशासन हमेशा सराहनीय रहा है। ऐसी आशा की जाती है कि इस परम्परा का भविष्य में भी निर्वाह होगा। विद्यार्थी का आचारण तथा व्यवहार अपने सहपाठियों कर्मचारियों और प्राध्यापकों के साथ अच्छा रहेगा, ऐसी अपेक्षा की जाती है।

5. अनुशासन संबंधी विश्वविद्यालय नियम –

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक 7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय के छात्र/छात्रा द्वारा महाविद्यालय में अनुशासन भंग किये जाने पर ऐसे छात्र/छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राचार्य समक्ष हैं। अनुशासनहीनता के लिए उक्त अध्यादेश में निम्नांकित दण्ड का प्रावधान है – (1) निलम्बन (2) निश्कासन (3) विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना (4) रेस्टिकेशन

6. रैगिंग एवं दण्ड

रैगिंग की त्रासदायी प्रताड़ना को स्थायी रूप से रोका जा सके इसलिए महामहिम राज्यपाल के द्वारा 1 सितम्बर 2001 को छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैगिंग का प्रतिशोध) अध्यादेश 2001 जारी किया गया है। इस अध्यादेश के द्वारा रैगिंग को सज्ञेय तथा गैर जमानती अपराध माना गया है। अध्यादेश में रैगिंग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है।

(क) रैगिंग से अभिप्रेत है कि किसी छात्र/छात्रा को मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से ऐसा कृत्य करने के लिये उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना, जिससे उसके मानवीय मूल्य का हनन या उसके व्यक्तित्कगत का अपमान या उपहास अभिदर्शित हो, या उसे अभित्रास, सदोश अवरोध, सदोश परिरोध या क्षति, या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग कर अभित्रास देते हुए किसी कार्य से प्रविरत करता हो।

रैगिंग का अपराध सिद्ध पाये जाने पर न्यायालय द्वारा दोषी छात्र/छात्राओं को पॉच वर्ष के कारावास की सजा दी जा सकती हैं तथा उसे संस्था से निष्कासित किया जा सकेगा। ऐसे छात्र/छात्रा को किसी भी शिक्षण संस्था में तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश से वंचित भी किया जा सकेगा। इस अध्यादेश के अन्तर्गत प्रताड़ना का प्रकरण अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान के द्वारा अभियुक्त छात्र/छात्रा को निलंबित करने तथा शैक्षणिक संस्था परिसर तथा उसके छात्रावास में प्रवेश से वंचित करने का भी प्रावधान है। प्रत्येक विद्यार्थी को रैगिंग में भाग न लेने संबंधी एक वचन पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। इन वचन पत्र में छात्रों के अभिभावक के भी हस्ताक्षर होंगे।

रैगिंग के अंतर्गत

कोलाहलपूर्ण अनुचित व्यवहार करना, चिढ़ाना भद्दे या अशिष्ट आचरण करना, उपद्रवी एवं अनुशासनहीन क्रिया–कलापों में संलग्न होना, जिससे नए छात्रों को गुस्सा, अनावश्यक परेशानी, शारीरिक अथवा मानसिक क्षति हो, अथवा उसमें आशंका या भय बढाने वाला हो, अथवा छात्रों से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, जो छात्र/छात्रा सामान्यतया नहीं कर सकता/सकती और जिससे उसे शर्म या अपमान का अनुभव होता हो, अथवा उसके जीवन के लिए खतरा हो।

छत्तीसगढ़ राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग अधिनियम, 2001

कनार्टक शिक्षा अधिनियम, 1883 (कर्नाटक अधिनियम नं. 1,1995) अनुच्छेद 2(29) के अनुसार रैगिंग की परिभाषा इस प्रकार है :–

'' किसी छात्र को मजाक में या अन्य किसी प्रकार से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, प्रेरित करना या बाध्य करना जो मानव–मर्यादा के खिलाफ हो या जो उसके व्यक्तित्व के विपरीत हो या जिससे वह हास्यास्पद हो जाए या डरा–धमकाकर गलत ढंग से रोककर गलत ढंग से बंद करके या उसे चोट पहुंचाकर या उस पर अनुचित दबाव डालकर या उसे इस प्रकार की धमकी, गलत अवरोध, गलत ढंग से बंदी बनाने, चोट या अनुचित दबाव का भय दिखाकर वैधानिक कार्य करने से मना करना।''

रैगिंग का स्वरूप :–

रैगिंग निम्नांकित रूपों (सूची केवल निर्देशात्मक है, संपूर्ण नहीं) में पाई जाती है :–

स्पष्ट आदेश

सीनियर छात्रों को ''सर'' कहने के लिए
सामूहिक कवायद करने के लिए

सीनियरों को क्लास–नोट्स उतारने के लिए
अनेक सौंपे हुए कार्य करने के लिए
सीनियरों के लिए भृत्योचित कार्य करने के लिए
अश्लील प्रश्न पूछने या उनका उत्तर देने के लिए

नये छात्रों को अपने सीधेपन के विपरीत आघात पहुंचाने हेतु अश्लील चित्रों को देखने के लिए
शराब, उबलती हुई चाय, आदि पीने के लिए बाध्य करना।

रैगिंग में लिप्त होने पर दिए जाने वाले दण्ड

1. प्रवेश निरस्त किया जाना
2. कक्षा/छात्रावास से निष्कासित किया जाना
3. छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना
4. परीक्षाओं से वंचित करना
5. परीक्षा परिणाम रोकना
6. राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तथा युवा उत्सव में भाग लेने पर प्रतिबंध
7. संस्था से रेस्टीकेट किया जाना
8. आर्थिक दण्ड रू. 25000.00 तक

कामुक संकेतार्थ वाले कार्य–समलैगिंक कार्य सहित करने के लिए बाध्य करना, ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य करना जिससे शारीरिक क्षति, मानसिक पीड़ा या मृत्यु तक हो सकती है। नंगा करना, चुंबन लेना, आदि। अन्य अश्लीलताएँ करना।

उपर्युक्त से यह विदित होता है कि प्रथम पॉच को छोड़कर अधिकतर रैगिंग के विकृत रूपों से युक्त है।

नोट : उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर के विज्ञापन क्रमांक 15/2009/38–1, रायपुर दिनॉक 03.08.2009 के निर्देशानुसार महाविद्यालय में एंटी रैगिंग तथा एंटी रैंगिक स्क्वाड का गठन किया गया।

17. महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधायें

1. सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र

महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के उचित मार्गदर्शन करने के लिए तथा रोजगार संबंधी सूचना देने के लिये सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र की स्थापना की गई है। यह केन्द्र प्राचार्य द्वारा मनोनीत प्राध्यापकों/ग्रन्थपाल की देखरेख में कार्य करता है।

2. बुक बैंक योजना

महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के लिये बुक बैंक योजना लागू है। इस योजना के अनुसार छात्र/छात्राओं का अध्ययनार्थ पाठ्य पुस्तकें दी जाती है। यह योजना योग्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निर्धन छात्र/छात्राओं के लिए है। इसके तहत पुस्तकें उपलब्ध है। छात्र/छात्रायें निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

3. पुस्तकालय

महाविद्यालय में पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध हैं ग्रन्थालय द्वारा सीमित अवधि के लिये पुस्तकें निर्गमित की जाती हैं। पुस्तक लेते समय अपना परिचय पत्र एवं पुस्तकालय पत्रक प्रस्तुत करना होता है।

4. पुस्तकालय का सामान्य नियम

(1) स्नातक कक्षा के छात्र एक समय में पुस्तकालय से 14 दिन की अवधि के लिए 2 पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक कक्षा के लिए निर्धारित दिन एवं समयानुसार पुस्तकालय से पुस्तकों का लेन–देन करना होगा।

(2) छात्रों को चाहिए कि पुस्तकें निर्गमित कराते समय पुस्तकों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण कर लें और पुस्तकों को पृष्ठ कटे–फटे या कोई पृष्ठ न होने पर ग्रन्थपाल/सहायक ग्रन्थपाल को तत्काल सूचित कर उनके हस्ताक्षर करवा लें।

(3) पुस्तकालय की पुस्तकों में लिखना/रेखांकित करना/पृष्ठ निकालाना या किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना दण्डनीय है।

(4) पुस्तकालय से निर्गमित पुस्तकों को परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व वापस किया जाना आवश्यक है किन्तु जिन छात्रों को पुस्तकें नही लौटानी हो वे अवधान राशि एवं तत्संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पुस्तकें परीक्षा समाप्ति तक अपने पास रख सकते है। अवधान राशि पुस्तकें जमा करने पर लौटा दी जावेगी।

(5) छात्र/छात्राओं को यह सुझाव दिया जाता है कि पुस्तकालय के सभी नियमों एवं सूचनाओं से स्वतः अवगत होते रहें।

5. स्वास्थ्य परीक्षण

महाविद्यालय के प्रत्येक नियमित छात्र/छात्रा को मेडिकल आफिसर के सामने उपस्थित होकर अपना स्वास्थ्य की जॉच करानी होगी। परीक्षण की तिथि एवं समय यथा समय सूचित किया जाता है।

18. सम्मिलित निधि समिति

शासनके निर्देशानुसार महाविद्यालय की सम्मिलित निधि के नियंत्रण एवं नियमानुसार आबंटन के लिए एक सम्मिलित निधि समिति का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी रहते हैं

(अ) अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष – महाविद्यालय के प्राचार्य

(ब) सचिव – महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक

(स) सदस्य – 1) प्राध्यापक/सहा.प्राध्यापक (प्राचार्य द्वारा मनोनीत)
2) छात्र सदस्य–छात्र संघ अध्यक्ष एवं सचिव, खेलकूद कप्तान में से दो छात्र तथा विभिन्न शैक्षणिक समितियों के अध्यक्ष/सचिव सदस्य होंगे।

19. अनुशासन समिति

महाविद्यालय में शांतिपूर्ण अध्ययन अध्यापन एवं विद्यार्थियों में आपसी सामन्जस्य एवं अनुशासन कायम रखने तथा उनकी कठिनाईयों को दूर करने में मदद देने और उन्हें हर प्रकार की सहायता देने के लिए प्राध्यापकों की एक अनुशासन समिति गठित की जाती है।

20. छात्रवृत्तियॉ/शिष्य वृत्तियाँ

महाविद्यालय शिक्षासंचालनालय छ.ग. रायपुर के द्वारा छ.ग. शासन तथा भारत सरकार की ओर से नियमित विद्यार्थियों को अनेक प्रकार से छात्रवृत्ति/शिक्षावृत्तियां प्रदान की जाती है। इच्छुक विद्यार्थी पात्रतानुसार अपने आवेदन पत्र पर निर्धारित तिथि से पहले पूर्ण करके महाविद्यालय कार्यालय में जमा कर दें। प्रपत्र जमा करने की निर्धारित तिथि एवं कार्यालय के प्रारूप प्राप्त करने की सूचना महाविद्यालय के सूचना फलक में लगा दी जायेगी। एक विद्यार्थी कई छात्रवृत्तियॉ के लिए प्रपत्र प्रस्तुत कर सकता है। परन्तु उसे छात्रवृत्तियों नियमानुसार एक ही छात्रवृत्ति प्राप्त हो सकती है।

	छात्रवृत्तियों शिष्यवृत्तियों के नाम	अवधि	गैर छात्रावाली/छात्रावासी	योग्यता का आधार	न्यूनतम आय संबंधी
(क)	भारत सरकार (शिक्षामंत्रालय)				
1.	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	03 वर्ष	650 720 रू. वार्षिक	हा.से.से पास 50% अंक	माता पिता के वार्षिक आय रू. 6000 से कम
2.	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति स्नातक (सामान्य)	03 वर्ष	650 100 रू. प्रतिमाह	हा.से.से पास 60% अंक	माता पिता के वार्षिक आय रू. 6000 से कम
3	प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों के बच्चों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	30 माह	150 रू. प्रतिमाह	हा.से.से पास 55% अंक	योग्यता एवं साधन वार्षिक आयय 24000 रू.

(ख)	राज्य शासन एकीकृत छात्रवृत्ति (शिक्षाविभाग)				
01	स्नातक शिष्यवृत्ति (योग्यता)	30 माह		हा.से.से पास 60% अंक	आय बंधन नहीं
02	स्नातक शिष्यवृत्ति (योग्यता एवं साधन)	03 वर्ष		हा.से.से पास 45% अंक	अधिकतम आय 6000
03	खेलकूद छात्रवृत्ति (योग्यता) समारोह योगयता	10 माह		45%	वि.वि. खेलकूद के लिए प्रदर्षन के आधार
04	राष्ट्रीय छात्र सेना छात्रवृत्ति	10 माह		45%	राष्ट्रीय छात्रसेना के वार्षिक शिविर में दिखाई गई योग्यता के आधार पर
05	मृत शासकीय कर्मचारी या शरीर से असमर्थ कर्मचारी /सेवानिवृत्त कर्मचारी के बच्चों को विशेष स्नातक शिष्यवृत्ति		65/100 रू.		6000/–
06	मृत सैनिकों के बच्चों को मिलने वाली शिष्यवृत्ति		65/100 रू.		मृत सैनिक छ.ग. का निवासी हो।
07	बी.पी.एल छात्रवृत्ति		स्नातक 300/– स्नातकोत्तर 500/–		
08	डाकुओं तथा डाकुंओं के द्वारा मारे गये लोगों के बच्चों को स्नातक शिष्यवृत्ति		स्नातक 50 तथा 75 रू. स्नातकोत्तर प्रतिमाह	गरीबी रेखा प्रमाण पत्र	
09	निर्धन तथा योग्यता के आधार पर विशेष स्नातक छात्रवृत्ति अथवा एकमुस्त अनुदान		500/600 रू.	गरीबी रेखा प्रमाण पत्र	साधन के आधार पर
10	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति		प्रथम वर्ष छात्र – 55, छात्रा – 70 द्वितीय एवं तृतीय वर्ष छात्र – 70, छात्रा – 85 एम.ए. छात्र – 100, छात्रा – 110 ST, SC- 300		
11	केन्द्रीय छात्रवृत्ति				
12	अल्प संख्यक छात्रवृत्ति				

टीप : 01. उपरोक्त नियमों, आय, पात्रता–आधार संबंधी शर्तो, वार्षिक दर से शासन के निर्णायानुसार कभी भी परिवर्ततन व संशोधन हो सकता है जो कि महाविद्यालय सूचना फलक में लगा दिया जायेगा।

02. कर्मचारियों की आय मूल वेतन को मानी जायेगी।

03. अपूर्ण या गलत प्रपत्र अथवा अंतिम तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये जाने वाले प्रपत्र अमान्य कर दिये जायेगें।

04. यदि विद्यार्थी विगत वर्ष से छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा हो तो उसे नवीनीकरण हेतु कार्यालय में प्रपत्र लेकर जुलाई माह में फिर से आवेदन करना होगा। नवीनीकरण का आधार पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

05. उपरोक्त के अलावा अन्य छात्रवृत्तियों की जानकारी भी महाविद्यालय सूचना फलक में दी जाती है।

21. महाविद्यालयीन जन–भागीदारी समिति

शासन ने महाविद्यालय के चहुंमुखी विकास हेतु नीति निर्धारिण करने एवं आय के स्त्रोत खोजने तथा प्राप्त आये के समुचित व्यय के लिए सुझाव देने एवं नियंत्रण रखने, महाविद्यालय की समस्याओं का निराकरण करने हेतु निर्देश देने आदि के लिए महाविद्यालय विकास जनभागीदारी समिति का गठन किया है। इस समिति के अंतर्गत तीन उपसमितियों यथा सामान्य परिषद, प्रबंध समिति एवं वित्त समिति का गठन किया गया है। विभिन्न समितियों के पदाधिकारियों के रूप में जन प्रतिनिधि, शासनके प्रतिनिधि विश्वविद्यालय एवं यू.सी.जी. के प्रतिनिधि, स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधि यथा ग्राम पंचायत प्रमुख, दानदाता, औद्योगिक संगठन का प्रतिनिधि बैंक प्रबंधन, कोषालय अधिकारी, भूतपूर्व छात्र, कृषक, छात्र अभिभावक, महिला प्रतिनिधि, अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि, महाविद्यालय का प्राचार्य एवं प्राध्यापक प्रतिनिधियों का विभिन्न स्तरों का मनोनयन किया जाता है। समिति की वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होती है जिसमें विभिन्न बिन्दुओं पर विचारोपरांत निर्णय लिए जाते हैं।

22. सूचना का अधिकार –

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रावधानिक सूचना निर्धारित शुल्क जमा कर निर्धारित तिथि के भीतर जनसूचना अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।

23. छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम – 2011

इस अधिनियम के अंतर्गत नीचे लिखे सेवा प्राप्त की जा सकती है –

प्रपत्र – 2 (नियम 16 देखिये)

पदाभिहित अधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यालय – डॉ. (श्रीमती) श्रद्धा चन्द्राकर, प्राचार्य

स. क्र.	अधिसूचित लोक सेवा	आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाल दस्तावेज	सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित समय – सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित प्राधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी का नाम पदनाम	अपील प्राधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यालय का पता	अपील के निवारण हेतु समय –सीमा
1	सभी प्रकार के रिफंड का भुगतान	परिचय पत्र, प्रवेश पत्र , फीस रसीद की छायाप्रति	15 दिन	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	45 दिवस
2	महाविद्यालय में प्रवेश के आवेदनों का निपटारा	आवेदन पत्र जमा करने की पावती की छायाप्रति	प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	45 दिवस
3	अ. – छात्रवृत्ति की स्वीकृति	परिचय पत्र, प्रवेश पत्र की छायाप्रति	30 दिन के भीतर	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	45 दिवस
	ब. – छात्रवृत्ति का भुगतान	परिचय पत्र, प्रवेश पत्र की छायाप्रति	15 दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	45 दिवस
4	पुस्तकों का प्रदाय	परिचय पत्र, प्रवेश पत्र की छायाप्रति	15 कार्य दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	45 दिवस
5	स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करना	परिचय पत्र, प्रवेश पत्र की छायाप्रति	07 कार्य दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	45 दिवस
6	परिचय पत्र जारी करना	प्रवेश पत्र की छायाप्रति	15 कार्य दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	45 दिवस
7	छात्रावास में प्रवेश	परिचय पत्र, प्रवेश पत्र की छायाप्रति	15 कार्य दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	45 दिवस
8	मार्कशीट, चरित्र प्रमाण पत्र	परिचय पत्र, प्रवेश पत्र की छायाप्रति	परिचयपत्र, प्रवेश पत्र	प्राचार्य	प्राचार्य छायाप्रति	संभागीय आयुक्त	45 दिवस
							45 दिवस

1.	पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी/ कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं कक्ष	01. डॉ.डी.आर.मेश्राम, सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) 02. श्री सुरेश कुमार धनगर, सहायक ग्रेड – तीन
2.	अपील प्रस्तुत करने के लिए समय – सीमा	30 दिवस के भीतर

नोटः– आवेदक कृपया आवेदन की अभिस्वीकृति अवश्य प्राप्त करें।

24. शिक्षक–अभिभावक योजना

विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन देने तथा उनके समस्याओं के निदान हेतु छ.ग. शासन उच्च शिक्षाविभाग द्वारा महाविद्यालय में शिक्षक अभिभावक योजना प्रारंभ की गई है।

25. पाठ्येतर गतिविधियॉ

शैक्षणिक पाठ्यक्रम की भांति इस महाविद्यालय में पाठ्येत्तर गतिविधियों का भी संचालन किया जाता है। इस दृष्टि से महाविद्यालय में निम्नलिखित व्यवस्थायें हैं।

(1) खेलकूद

छात्र/छात्राओं के व्यक्तिगत के बहुमुखी विकास के ध्येय से इस महाविद्यालय में खेलकूद की समुचित व्यवस्था की गई है। शासन की ओर से खेलकूद का प्रशिक्षण देने के लिए एक राजपत्रित क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त है। इसके अलावा प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय के एक वरिष्ठ प्राध्यापक को खेलकूद से संबंधित गतिविधियों की देखभाल के लिए क्रीडा समिति के सचिव के रूप में मनोनित किया जाता है। यह समिति खेलकूद संबंधी निधि और गतिविधियों का संचालन एवं नियंत्रण करती है। महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त खेलकूद सुविधाओं इन्डोर एवं आउट डोर का विवरण निम्नांकित है

(क) आउट डोर गेम – बैडमिन्टन, व्हालीवाल, कबड्डी, खो–खो एवं एथलेटिक्स
(ख) इन्डोर गेम – कैरम एवं शतरंज

(2) राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)

छात्र–छात्राओं को समाज सेवा तथा जन कल्याण संबंधी कार्यो का प्रशिक्षण देने के ध्येय से इस महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना भी संचालित है। इसके तहत छात्रों को पढ़ाई के साथ समाज सेवा का अवसर मिलता है। सम्पत्ति इस महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की एक इकाई है। जिसमें 100 छात्र को प्रवेश दिया जाता है। इसके द्वारा विद्यार्थी में मिल जुलकर काम करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। विद्यार्थी रचनात्मक, सामाजिक कार्यो में भाग लेता है, समाज के नागरिकों विशेषकर ग्रामवासियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही है विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें जागृत करना होता है। सामाजिक बुराई, यथा अशिक्षा, अच्वच्छता, अस्पृस्यता, अंधविश्वास आदि के निराकरण में छात्र की सृजनात्मक शक्ति विकसित होती है।

(3) रेडक्रास सेवा योजना

स्वास्थ्य एवं समाज सेवा के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से महाविद्यालय में यूथ रेड क्रास इकाई का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत छात्र – छात्राओं का रक्त परीक्षण, स्वास्थ्य कैम्प का आयोजन किया जाता है। समय – समय पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर छात्र – छात्राओं को रक्तदान के लिए प्रेरित किया जाता है। यूथ रेडक्रास के सदस्य गांवों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता रैली, नुक्कड़ – नाटक आदि का आयोजन करता है।

26. छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता सामान्य नियम

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होना। इनका पालन न करने पर वह शासनद्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा। साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।

6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सर्वथा वर्जित होगा।
7. महाविद्यालय में इधर–उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना, गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी को असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।
8. वह अपनी मांगों को प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आंतक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रहेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंधत रहेगा।

अध्ययन संबंधी नियम

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी को 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी वह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेगा।
3. ग्रन्थालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय में न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन संबंधी किसी भी कठिनाई के लिए वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्ण ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशाला या वाचनालय में पंखे, लाईट, इलेक्ट्रीक फिटिंग आदि की तोड़ फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक में मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वथ्य होने की उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र

1. यदि छात्र किसी अनैतिक मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिशोध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर, उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।
5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता –

1. प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
2. कुल सात आंतरिक परीक्षाओं में कम से कम 5 में सम्मिलित होना आवश्यक है।
3. एनसीसी कैम्प/एनएसएस कैम्प/खेलकूद/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जायेगा।
4. उपस्थिति की प्रथम गणना प्रत्येक सत्र में जुलाई से अक्टूबर माह तक की जायेगी।
5. कम उपस्थिति वाले छात्रों को तथा उसके पालकों को सूचना दी जायेगी।
6. उपस्थिति की द्वितीय गणना जुलाई से 15 फरवरी तक मानी जावेगी।
7. उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम रहने पर विश्वविद्यालयीन परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी अथवा विश्वविद्यालयीन अपने स्तर पर इनसे अतिरिक्त शुल्क ले सकेगा।

शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय

गुण्डरदेही, जिला – बालोद (छ.ग.)

e-mail id: gskycollege@gmail.com

प्रवेश आवेदन पत्र

पासपोर्ट
फोटो चिपकाएं

प्रवेश हेतु आवेदन पत्र

सत्र 20.....– 20.....

कक्षा का नाम : .....

आवेदक का नाम : .....

पिता का नाम : .....

माता का नाम : .....

मोबाईल नम्बर :

अर्हकारी परीक्षा में कुल प्राप्तांक : .....

प्राप्तांको का प्रतिशत : .....

प्राचार्य संयोजक के हस्ताक्षर प्रभारी के हस्ताक्षर

प्रवेश दिया जाय (टीप) : .....

कक्षा : .....

संकाय/वर्ग : .....

प्रवेश संख्या : .....

तिथि : .....

शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय,
गुण्डरदेही, जिला – बालोद (छ.ग.)

1. कक्षा जिसमें प्रवेश चाहिये : .....
2. जो विषय लेना चाहता है 1 : .....
   2 : .....
   3 : .....
   अनिवार्य विषय–आधार पाठ्यक्रम : (1) हिन्दी भाषा (2) अंग्रेजी भाषा
   (3) पर्यावरण अध्ययन (केवल प्रथम वर्ष हेतु)
3. आवेदक का पूरा नाम : .....
4: जन्म तिथि (अंको में) : .....
   (शब्दों में) : .....
5. लिंग : पुरुष / महिला / तृतीय लिंग
6. पिता का नाम : .....
7. माता का नाम : .....
8. व्यवसाय ..... जाति : ..... धर्म :.....
9. राष्ट्रीयता : .....
10. आवेदक का स्थायी पता : .....
11. आवेदक का स्थानीय पता : .....
12. जन्म स्थान पोस्ट : .....
13. जिला .....राज्य .....फोन / मोबाईल नं. .....
14. आधार नं. ..... ई–मेल .....
15. संरक्षक का नाम (यदि पिता जीवित नहीं) : .....
16 आवेदक से संबंध : .....
17 संरक्षक का पूरा पता : .....
18. पिता / संरक्षक का व्यवसाय : .....
19. पिता / संरक्षक के छत्तीसगढ़ में रहने की अवधि .....
20. आवेदक अनुसूचित जाति / जनजाति / विकलांग .....
    विमुक्ति जाति /
    छ.ग. पिछड़े वर्ग की सूची किस जाति का है : .....
    शासन की तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी की संतान हो
    तो उसका पूर्ण विवरण तथा प्रमाण पत्र संलग्न किया जावें : .....

21. पिछली संस्था का नाम जिसमें : .....
छात्र/छात्रा ने अध्ययन किया है : .....
अध्ययन वर्ष : .....

आवेदक का शैक्षणिक प्रगति का विवरण :–

कक्षा का नाम	रोल नं.	नामांकन	परीक्षाफल	प्राप्तांक	बोर्ड/वि.वि. का नाम	लिये गये विषय
हायर सेकेण्डरी						
बी.ए./बी.एससी./ बी.कॉम. भाग–1						
बी.ए./बी.एससी./ बी.कॉम. भाग–2						
बी.ए./बी.एससी./ बी.कॉम. भाग–2						
एम.ए. प्रथम/द्वितीय सेमेस्टर						
एम.ए. तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर						

22. पिछली परीक्षा का माध्यम : .....
23. क्या गत चार वर्षों में आवेदक का अध्ययन क्रम जारी रहा : .....
24. खेलकूद/एन.सी.सी./ए.सी.सी./एन.एस.एस./समाज : .....
सेवा अन्य में भाग लिये हो तो उल्लेख करें : .....
25. क्या आवेदक सेवारत है ? : .....
(अनुमति संलग्न करें)
26. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची 1. स्थानांतरण प्रमाण पत्र मूल प्रति।
2. अंकसूची 3. निवास प्रमाण पत्र
4. चरित्र प्रमाण पत्र 5. प्रवजन प्रमाण पत्र

टिप्पणी :– प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियां संलग्न करें। प्रवेश के समय मूल प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी। प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करनी होगी।

आवेदक द्वारा प्रतिज्ञा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने महाविद्यालय की विवरणिका में दिये गये समस्त नियमों, व्यवस्थाओं एवं आचरण संहिता का अध्ययन कर लिया है तथा मैं प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं अध्ययनरत रहकर अपने कर्तव्यों, महाविद्यालय के नियमों का पालन करूंगा/करूंगी एवं परीक्षा में किसी अव्यवस्था, अनुशासनहीनता एवं हिंसात्मक कार्यवाही में प्रत्यक्ष या परोक्ष में कोई भाग नहीं लूंगा/लूंगी। प्रत्येक मामले में प्राचार्य महादेय के निर्णयों का पालन करूंगा/करूंगी। किसी पदाधिकारी के रूप में प्राचार्य महोदय अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि के पूर्व अनुमति के पूर्व अनुमति के बिना कोई व्यय नहीं करूंगा/करूंगी। मेरी ओर से महाविद्यालय का कोई भी शुल्क या अन्य किसी संबंध में कोई राशि देय नहीं है, तथा मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे विरूद्ध गत वर्षो में अनुशासन भंग, दुराचरण परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग या दुर्व्यहार अथवा किसी कारण से महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या किसी न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैंने समस्त जानकारी उपर दे दी है तथा उसमें जब कोई परिवर्तन होगा, उसकी सूचना तुरंत दूंगा/दूंगी। मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैने किसी भी तथ्य को नहीं छिपाया है और न ही असत्य जानकारी दी है। उपर्युक्त प्रतिज्ञा के उलंघन करने की स्थिति में मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा और अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

मैने महाविद्यालय के विवरण पत्रिका में दिये छात्रों के आचरण नियमों Ref. Govt. of M.P. Edu. Dept. Memo No. 3573/20-50 70 Bhopal Dated 6th July 1970 तथा 27.12.2008 20 ब.सि.स. स्था. 46 2002 दिनांक 3 जून 1976 को पढ़ लिया है और प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं उनका पूर्ण रूप से पालन करुंगा करुंगी।

टिप्पणी – यदि कभी कोई कार्यवाही की गई तो उनका विवरण अवश्य दें।

दिनांक —————————— **आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर**

पिता या अभिभावक का घोषणा पत्र

मैं यह प्रमाणित करता हॅ कि मेरे पुत्र/पाल्य द्वारा इस आवेदन में दी गई समस्त जानकारी सत्य है। महाविद्यालय विवरणिका के नियमों का अध्ययन मैंने कर लिया हैं मैं इनके अध्ययन काल में उसके आचरण कार्य उपस्थिति, दैनंदिन प्रगति एवं व्यवहार के संबंध में विशेष ध्यान दूंगा तथा इसके लिए पूर्णतः उत्तरदायी रहते हुए महाविद्यालय को पूरा सहयोग देता रहॅूगा। मेरे पुत्र/पाल्य के लिए प्राइवेट ट्यूशन प्राचार्य की सहमति से ही होगी।

स्थान ——————————

दिनांक —————————— पिता/अभिभावक के पूर्ण हस्ताक्षर

आवश्यक निर्देश

1. हरेक छात्र/छात्रा को महाविद्यालय आते वक्त परिचय पत्र लाना आवश्यक है।
2. महाविद्यालय समय में छात्र/छात्राओं का महाविद्यालय परिसर में रहना अनिवार्य है। महाविद्यालय समय में महाविद्यालय परिसर के बाहर घूमने वाले छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को है।
3. महाविद्यालय समय–सारिणी प्राचार्य तय करेंगे। समय–सारिणी के अनुसार छात्र/छात्राएँ अपनी कक्षाओं में उपस्थित रहेंगे।
4. हड़ताल को प्रेरित करने एवं अनुशासनहीन कार्य करने वाले छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त किया जायेगा।

पालक के हस्ताक्षर **छात्र के हस्ताक्षर**

वचन पत्र

मैं ..... पिता/माता ..... कक्षा .... विभाग/छात्रावास ..... घोषणा करती/करता हूँ कि मुझे ज्ञात है कि रैगिंग न केवल अपराध है बल्कि मानव अधिकार का हनन भी है। मैं इस प्रकार किसी कृत्य में शामिल नहीं रहूँगा/रहूँगी। मुझे रैगिंग में दी जाने वाले सजा की जानकारी है और यदि मैं रैगिंग की घटना में शामिल पाया/पायी जाता/जाती हूँ तो मैं दण्ड का भागी रहूँगा/रहूँगी।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा पाल्य रैगिंग के किसी कृत्य में शामिल नहीं होगा/होगी। मुझे रैगिंग में दी जाने वाले सजाएं ज्ञात हैं। यदि मेरा पाल्य रैगिंग के किसी प्रकरण में लिप्त पाया/पायी जाता/जाती है तो उसको दी जाने वाली सजा से मै सहमत रहूंगा/रहूंगी।

पिता/माता, अभिभावक के हस्ताक्षर

टीप : यदि अभिभावक के हस्ताक्षर सही नहीं पाए गए तो छात्र/छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी, जिसके लिए छात्र/छात्रा स्वयं जिम्मेदार होगा।

शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय, गुण्डरदेही, जिला–बालोद (छ.ग.)

पावती

श्री/कु./श्रीमती ..... का कक्षा .... में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र क्र. ..... प्राप्त किया।

दिनांक ..... **हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता**

संलग्न – 1

छात्र/छात्रा का शपथ पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कु. .....

(माता–पिता/अभिवावक का पूरा नाम).....

(छात्र का पूरा नाम, प्रवेश पंजीयन/नामांकन संख्या सहित) .....

(संस्था का नाम) .....

में हो चुका है या हो गया है को उच्च शिक्षा संस्थानो में रैगिंग के अपराध को समाप्त करने के लिए यू.जी.सी. नियमावली 2009 प्राप्त की, उसको सावधानी पूर्वक पढ़ा और पूर्णतः समझा।

मैंने विशेषतः नियमों की कंडिका–3 का अध्ययन किया और रैगिंग किस प्रकार की होती है के प्रति सजक हुआ। मैंने कंडिका 7 और 9.1 के नियमो का भी विशेष अध्ययन किया और मैं प्रशासकीय कार्यवाही से अवगत हूँ जिसके अंतर्गत मैं रैगिंग को बढ़ावा देता हूँ/देती हूँ अथवा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से करता/करती हूँ या षड़यंत्र करता/करती हूँ तो मेरे विरूद्ध कार्यवाही हो सकती है।

मैं सत्यनिष्ठा से संकल्प लेता हूँ कि –

(अ) मैं ऐसा कोई भी कार्य नही करूंगा/करूंगी जो कि कंडिका–3 के नियम के अंतर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।

(ब) मैं ऐसे किसी भी कार्य में प्रतिभागी नही बनूंगा/बनूंगी जो कंडिका–3 रैगिंग के अंतर्गत अपराध को बढ़ावा देता हो या (लोकप्रिय) फैलाता हो।

मैं ऐसे किसी भी कार्य में प्रतिभागी नहीं बनूंगा/बनूंगी

मैं सत्य निष्ठा से वचन देता हूं/देती हूं यदि मैं रेगिंग में लिप्त पाया जाता/जाती हूं तो मेरे विरूद्ध उक्त नियमो की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के अपराधिक कार्यवाही की जा सकती है।

मैं घोषणा करता/करती हूं कि देश की किसी भी संस्था से ना तो निकाला गया और न ही प्रवेश के लिए वर्जित किया गया न ही रैगिंग जैसे अपराध को बढ़ावा देने सहायता करने या षड़यंत्र में अपराधी पाया गया/गई। मैं अच्छी तरह जानता/जानती हूं कि मेरी से घोषणा असत्य पायी जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

घोषणा का दिनांक दिनांक.....माह.....वर्ष..... ।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम .....

सत्यापन

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में उल्लेखित सभी तथ्य मेरी जानकारी में सत्य और कोई भी तथ्य असत्य नहीं है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

सत्यापन का (स्थान).....(दिन).....(माह).....(वर्ष).....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

उपस्थिति में शपथ–पत्र में उल्लिखित नियमों का अध्ययन कर (दिन)..... (माह).....(वर्ष)..... को हस्ताक्षर आत्मिक स्वीकृति दी गई।

शपथ आयुक्त

संलग्न – 2

माता–पिता/अभिभावक का शपथ पत्र

1. मैं श्री/श्रीमती/कु. .....

(माता–पिता/अभिवावक का पूरा नाम).....

(छात्र का पूरा नाम, प्रवेश पंजीयन/नामांकन संख्या सहित.....

(संस्था का नाम).....

में हो चुका है या हो गया है को उच्च शिक्षा संस्थानो में रैगिंग के अपराध को समाप्त करने के लिए यू.जी.सी. नियमावली 2009 प्राप्त की उसको सावधानीपूर्वक पढ़ा और पूर्णतः समझा।

2. मैंने विशेषतः नियमों की कंडिका–3 का अध्ययन किया और रैगिंग किस प्रकार की होती है कि प्रति सजक हुआ।
3. मैंने कंडिका 7 और 9.1 के नियमों का भी विशेष अध्ययन किया और मैं प्रशासकीय कार्यवाही से अवगत हूँ जिसके अंतर्गत यदि मैं रैगिंग को बढ़ावा देता हूँ/देती हूँ अथवा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता/करती हूँ तो मेरे विरूद्ध कार्यवाही हो सकती है।
4. मैं सत्यनिष्ठा से संकल्प लेता हूँ कि –
   (अ) मेरा पुत्र/पुत्री किसी भी प्रकार के रैगिंग अपराध में सम्मिलित नहीं होगा जो कि कंडिका–3 के नियम के अंतर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
   (ब) मेरा पुत्र/पुत्री किसी भी ऐसे कार्य में प्रतिभागी नही बनेगा जो कंडिका–3 रैगिंग के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता हो।
5. मैं सत्यनिष्ठा से वचन देता/देती हूं कि यदि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरूद्ध उक्त नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के अपराधिक कार्यवाही की जा सकती है।
6. मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग जैसे अपराध के कारण देश की किसी भी संस्था से न तो निष्कासित किया गया है न ही प्रवेश से वंचित किया गया।

घोषणा का दिनांक दिनांक.....माह.....वर्ष..... ।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम .....

सत्यापन

मैं सत्यापित करता/करती हूं कि उक्त शपथ पत्र में उल्लेखित सभी तथ्य मेरी जानकारी में सत्य और कोई भी तथ्य असत्य नहीं है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

सत्यापन का (स्थान).....(दिन).....(माह).....(वर्ष.....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

उपस्थिति में शपथ–पत्र में उल्लिखित नियमों का अध्ययन कर (दिन) ..... (माह)..... (वर्ष).....
को हस्ताक्षर आत्मिक स्वीकृति दी गई।

शपथ आयुक्त

जनभागीदारी प्रबंधन समिति

शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय, गुण्डरदेही

पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सूची

01.	श्री संजय साहू	–	अध्यक्ष
02.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	–	उपाध्यक्ष
03.	श्री यशवंत गुप्त	–	सदस्य (स्थानीय संगठन)
04.	श्री राजेन्द्र जैन	–	सदस्य (उद्योग)
05.	श्री लोकेश साहू	–	सदस्य (स्थानीय संस्था)
06.	श्री रविराय	–	सदस्य (दानदाता)
07.	श्री रामसेवक निषाद	–	सदस्य (कृषक)
08.	श्री टीकम सिंह कोल्हे, प्राचार्य	–	सदस्य (पोषक शाला)
09.	श्री युगांत चन्द्राकर	–	सदस्य (पोषक शाला)
10.	श्री दिलीप यादव	–	सदस्य (अभिभावक)
11.	श्रीमती गिरिजा कोसरिया	–	सदस्य (अभिभावक)
12.	श्री जागेश्वर कुर्रे	–	सदस्य (अ.जा. प्रतिनिधि)
13.	श्री सलीम खान	–	सदस्य (अ.पि.वर्ग प्रतिनिधि)
14.	श्री विजय कुमार कश्यप	–	सदस्य (पूर्व छात्र)
15.	श्री अविनाश साहू	–	सदस्य (पूर्व छात्र)
16.	श्री फैज बख्श	–	सदस्य (विधायक प्रतितिधि)
17.	श्री सतीश महोबिया	–	सदस्य (सांसद प्रतिनिधि)
18.	.....	–	सदस्य (वि.वि. अनु.जा. प्रतिनिधि)
19.	श्री नेमेन्द्र देशमुख, सहायक कोषालय अधिकारी	–	सदस्य
20.	डॉ.डी.सी. अग्रवाल, प्राध्यापक	–	सदस्य (वि.वि. प्रतिनिधि)
21.	.....	–	सदस्य , अनु. अधिकारी लो.नि.वि.
22.	.....	–	सदस्य, शाखा प्रबंधक
23.	डॉ.डी.आर. मेश्राम	–	सदस्य, सहायक प्राध्यापक
24.	श्री डी.एस.सहारे	–	सदस्य, सहायक प्राध्यापक

***